उ0प्र0 शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्याः 64/2020/ 3001 /33-3-2020-62/2020

लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्याः-63/2020/2990/33-3-2020-62/2020 दिनांक 24.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा-12 की उपधारा-3 क में प्रावधानित व्यवस्था के तहत सहायक विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी को जनपद-गौतमबुद्धनगर को छोड़कर समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया था। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश जनपद-गोण्डा की निम्न ग्राम पंचायतों में प्रभावी नहीं होगाः-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	तरबगंज	सरावां
2	तरबगंज	खानपुर
3	नवाबगंज	जलालपुर
4	नवाबगंज	बहादुरा
5	वजीरगंज	रामपुर खरहटा
6	वजीरगंज	परसिया
7	वजीरगंज	मोहनपुर
8	वजीरगंज	बल्लीपुर
9	वजीरगंज	गणेशपुर ग्रण्ट
10	वजीरगंज	साहिबापुर

तदनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्याः-63/2020/2990/33-3-2020-62/2020 दिनांक 24.12.2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांकः- तदैव।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आॅफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
11. पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।